नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.25	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 13 बबरी देवी की मृत्यु वाद पत्र पेश करने की 6 माह पूर्व ही हो चुकी थी जिसका वादीगण का पूर्ण ज्ञान था,वाद संख्या 5 स्व. चुन्नीलाल की द्वितीय पत्नी है हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रथम पत्नी के जीवित रहते द्वितीय पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लिहाजा वादीगण का वाद मिथ्या, व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता की कथन है कि वादीगण गुजरात राज्य में निवासरत होने से व प्रतिवादीगण से परिवारिक रिश्ते नहीं होने वादीगण को प्रतिवादी संख्या 13 के फौत होने की कोई जानकारी नहीं थी, श्री चुन्नीलाल के फौत होने से वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की तहत वादग्रस्त भूमि पर उत्तरांधिकार पाने के हकदार है वादीगण द्वार गलत तथ्यो से वाद पत्र पेश नहीं किया गया है, वाद पत्र का निस्तारण विधि अनुसार गुणावगुणो व साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाना चाहिए अन्यथा वादीगण अपने हको से महरूम रह जायेगे लिहाजा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तो की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया । विधि अनुसार यदि मुकदमा मृत व्यक्ति के विरूद्ध दायर किया गया है तो प्रारम्भ रूप से ही अमान्य (void ab initio) है तथा बाद में उस मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस (Legal Heirs) को जोडने से भी यह मुकदमा वैध नही होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Hameed Joharan vs Abdul Salam(2001)7 SSC 573 में कहा है कि "A suit field againest a dead person is a nullity and cannot be countinued by adding legal represntatives latter" वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 13 की मृत्यु वाद दायर करने से पूर्व हो चुकी [illegible] माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Hameed Joharan vs Abdul Salam(2001)7 [illegible] 573 में यह कहा है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा प्रारम्भ से ही शून्य है विधि अनुसार यदि दावा में बाद में मृत पक्षकार के [illegible] वारिसान को बतौर पक्षकार सयोजित किया जाता है तो भी यह अमान्य है। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लिहाजा प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर का वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
वइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 09 / 2023

वादीगणः–

1. कंचन बैन पुत्री चुन्नीलाल पत्नी पूरणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर हाल कुबेरदास चावला की खाली ,नरोड रोड नैमको सेजपुरा बोगा अहमदाबाद (गुजरात)
2. पदमा बैन पुत्री चुन्नीलाल पत्नी अजयसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर हाल कुबेश्वर महादेव सेजपुरा बोगा अहमदाबाद (गुजरात)
3. संगीता पुत्री चुन्नीलाल पत्नी विक्रमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर हाल 606 सरदारपुरा आहोर जिला जालोर
4. उषा बैन पुत्री चुन्नीलाल पत्नी मंयक कुमार जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर हाल खोडियार नगर चांदखेडा गुजरात हाउसिंग बोर्ड अहमदाबाद (गुजरात)
5. कमला बैन पत्नी चुन्नीलाल जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर हाल सावित्री नगर असारवा, नेताजी नगर के पास कुबेर नगर अहमदाबाद (गुजरात)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जमकुदेवी पत्नी चुनाजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. श्रवणसिंह पुत्र चुनाजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. कल्याणसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. घेवरसिंह पुत्र धूंकसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. तगसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. दिनेशसिंह पुत्र छगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
8. नगसिंह पुत्र भैरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा
9. नैनसिंह पुत्र जबरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:29 IST
Reason: SelfAttested

10. नरपतसिंह पुत्र मोमताजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

11. पुखराज पुत्र भैराजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

12. पारू पत्नी जबराजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

13. बबरी पुत्री सरदाजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

14. भटसिंह पुत्र छगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

15. भटाराम पुत्र मोमताजी जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

16. मलाराम पुत्र सरदाराराम जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

17. महेन्द्रसिंह पुत्र जबराराम जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

18. मोहनसिंह पुत्र धूंकसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

19. सतीराम पुत्र सरदाराराम जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

20. सुंदर पत्नी बाबुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

21. स्वरूपसिंह पुत्र छगनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

22. श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा ,

23. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : – 31.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री गौतमसिंह राजपुरोहित व श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह्न पेश होकर डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:29 IST
Reason: SelfAttested